सरकार ने दी 20 लाख टन चीनी निर्यात करने की इजाजत

इस फैसले से चीनी के सरप्लस स्टॉक को खत्म करने और गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने में मदद मिलेगी

पीटीआई | नई दिल्ली

सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के आखिर तक 20 लाख चीनी निर्यात करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला सरप्लस स्टॉक को खत्म करने और मिल मालिकों को किसानों के बकाए का भुगतान करने के लिए नकदी का स्तर सुधारने में मदद के लिए किया गया है।

सरकार ने कच्ची चीनी का एक्सपोर्ट सितंबर 2018 तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन (डीएफआईए) स्कीम के तहत करने की अनुमति भी दी है। इसके जरिए 2 साल तक जीरो ड्यूटी पर चीनी का आयात किया जा सकेगा। आधिकारिक डेटा के मुताबिक, चीनी मिलों पर मौजूदा मार्केटिंग ईयर (अक्टूबर-सितंबर) के 21 मार्च तक गन्ना किसानों का 13,899 करोड़ रुपये बकाया था।

अपने हालिया आदेश में खाद्य मंत्रालय ने मौजूदा मार्केटिंग ईयर में सभी ग्रेड की 20 लाख टन चीनी को मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा (एमआईक्यू) स्कीम के तहत निर्यात करने की छूट दी है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, 'चीनी उद्योग के इनवेंटरी लेवल को देखते हुए और नकदी बढ़ाने के लिए 2017-18 मार्केटिंग ईयर के लिए मिल-वाइज एमआईक्यू तय किया गया है।'

> सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सितंबर 2018 तक कच्ची चीनी का आयात करने की भी अनुमति दी है

इसमें कहा गया है कि एमआईक्यू के तहत निर्धारित कोटे की चीनी का निर्यात करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने मिलों को सरकारी आदेश नहीं मानने का दोषी करार दिया जाएगा।

निर्यात कोटा को मिलों के पिछले दो साल के औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस मार्केटिंग ईयर में फरवरी तक के लिए तय किया गया है। वे इस निर्धारित कोटे को खुद निर्यात करने के अलावा दूसरी मिलों के साथ परस्पर सहमति से भी निर्यात कर सकती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल मार्च तक गन्ने का सबसे ज्यादा बकाया उत्तर प्रदेश की मिलों पर था। यह लगभग 5,136 करोड़ रुपये थी। इसके बाद कर्नाटक में 2,539 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र 2,348 करोड़ रुपये बकाया था।

सरकार ने यूरिया डीलर का मार्जिन लगभग दोगुना किया

सरकार ने गुरुवार को पीओएस मशीनों के जरिए यूरिया बेचने वाले उर्वरक विक्रेताओं के कमीशन को लगभग दोगुना करते हुए 354 रुपये प्रति टन कर दिया है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 515.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मार्जिन में किया गया बदलाव 1 अप्रैल से निजी और सरकारी, दोनों एजेंसियों के लिए लागू होगा। डीलरों को ज्यादा मुनाफा देने का फैसला उर्वरक सब्सिडी के डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम को सही ढंग तरीके से चलाने में मदद करेगा। अभी तक निजी एजेंसियां और सहकारी समितियां यूरिया की बिक्री को डीलरों 180 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान करती हैं। वहीं, संस्थागत एजेंसियों के लिए 200 रुपये प्रति मार्जिन तय किया गया है।

संशोधित मुनाफा सिर्फ प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के जरिए यूरिया की बिक्री की मात्रा पर दिया जाएगा। बयान के मुताबिक, 'इस कदम से पूरे देश में 23,000 डीलरों को लाभ हो सकता है।' मंत्रालय ने पहले ही अधिकांश राज्यों में डीबीटी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूरिया पर सरकार सबसे अधिक सब्सिडी देती है। इस समय इसका एमआरपी 5,360 रुपये प्रति टन है। किसानों को सस्ते पोषक तत्व मुहैया कराने के लिए सरकार करीब 70,000 करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी के रूप में देती है।